



राजस्थान विश्वविद्यालय  
जयपुर

क्रमांक:- लेखा एवं वित्त/पेंशन/2023/

दिनांक:-

अधिसूचना

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 22.6.2023 की पालना में शासन सचिव वित्त (बजट) राजस्थान सरकार के आदेश संख्या प 13 (12) वित्त (नियम) 2021 दिनांक 17.6.2023 के द्वारा राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 25.5.2023 के निरन्तरता में विकल्प प्रस्तुत करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 15.7.2023 तक बढ़ायी जाती है।

- ह. -

(रामसुख जाटोलिया)  
वित्त नियंत्रक एवं  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:- लेखा एवं वित्त/पेंशन/2023/14254-14334

दिनांक:- 04-7-2023

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न का अग्रप्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. शासन सचिव, वित्त (बजट) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक/अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान वि. वि. जयपुर।
5. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान वि. वि. जयपुर।
6. समस्त निदेशक, पी.जी.स्कूल्स/वि. वि. केन्द्र, राजस्थान वि. वि. जयपुर।
7. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर राजस्थान वि. वि. जयपुर को राजस्थान सरकार के आदेश एवं विकल्प पत्र की प्रति भेजकर अनुरोध है कि इस अधिसूचना के साथ, विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर तुरन्त प्रसारित करावें।
8. परिक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Pj/Vain  
27/06/23  
(डॉ. राजकुमार जैन)  
उपकुलसचिव  
लेखा एवं वित्त